आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
1	

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 33/2021–22

राज्य सरकार

–बनाम–

रमेश प्रसाद सिंह वगै0

–: आदेश :–

09.05.2023

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 5182/अप0शा0, दिनांक 24.10.2021 से राधानगर थाना कांड संख्या 148/2021, दिनांक 25.07.2021 में ट्रैक्टर संख्या (1). JH18G-5370,(2). JH18F-4353, (3). JH17V-3969, (4). JH18J-2093, (5). JH18H-3491, (6). JH18J-0841, (7). JH18J-7274, (8). JH04Q-9229, (9). WB93-2474 एवं (10). JH18H-3491 को लोड बालू सहित राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा का माँग किया गया।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः– जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल, अंचल अधिकारी, उधवा राधानगर थाना के पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ राधानगर थाना अन्तर्गत अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन का औचक निरीक्षण हेतु दिनांक 25.07.2021 को सुबह करीब 05:00 बजे निकले। राधानगर थाना से करीब 01 किमी दूरी पर पूरब की ओर बरहरवा से राजमहल जाने वाली मुख्य सड़क पर बालू से लदे ट्रैक्टर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल को देखकर वाहन चालक अपना–अपना ट्रैक्टर छोड़ कर भाग गये एवं किसी भी चालक द्वारा परिवहन चालान एवं किसी भी प्रकार का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। घटन स्थल पर मौजूद उक्त सभी वाहनों को बालू सहित जप्त कर लिया गया। घटना स्थल पर उपस्थित श्री बिक्रम महली, अंचल अधिकारी, उधवा एवं श्री नथई राम, स0अ0नि0, राधानगर थाना के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए उक्त सभी वाहनों को जप्त कर लिया गया। जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अपने पत्रांक 715/एम0, दिनांक 25.07.2021 के माध्यम से ट्रैक्टर संख्या (1). JH18G-5370,(2). JH18F-4353, (3). JH17V-3969, (4). JH18J-2093, (5). JH18H-3491, (6). JH18J-0841, (7). JH18J-7274, (8). JH04Q-9229, (9). WB93-2474 एवं (10). JH18H-3491 के मालिक, चालक, बालू क्रेता एवं विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदित किया गया, जिसके आधार पर कांड अंकित किया गया।

विपक्षी पारूल बसाक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा हाजरी प्राप्त। जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा Royalty जमा प्रतिवेदन प्राप्त। जिन वाहन मालिको के Transport एवं Mining का Royalty जमा नही किया। इतना समय देने के बावजूद भी। उन्हे खनिज सहित राजसात करें।

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अतएव अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि राधानगर थाना कांड संख्या 69/2022, दिनांक 04.08.2022 में जप्त (1) ट्रक सं0– JH04Q-9229, इस्माईल शेख, (2) ट्रक सं0– WB93-2474, श्यामल दास, (3) ट्रक सं0– JH18A-8121, पारूल बासक एवं (4) ट्रक सं0– JH18F-4553, हसन शेख द्वारा माननीय NGT के नियमों के अनुपालन किये बिना चालान के चिप्स लोड करके परिवहन किया जा रहा था, जो अवैध है। उक्त जप्त वाहन खनन के परिवहन कार्य में संलिप्त रहने के कारण राजसात करना उचित प्रतीत होता है।

Before the National Green Tribunal Principal Bench, New delhi के Original Application No. 23/2017 (EZ), Order dated 15.03.2023 के कंडिका–19 के अनुसार "we note from the above compliance status, presented to the Tribunal, that 112 units do not have height lower than the height of wind breaking walls nor they have constructed road for transportation to control dust pollution, as noted at Sr. No. V and VI. They are reported to be merely using water sprinklers to control dust in the course of transportation, adequacy of which is not been verified nor source of availability of water for water sprinklers ascertained. Level of dust pollution is not ascertained. As shown at Sr. No. X, green belt has not been developed except by 131 units. Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not complying with the directions of covering the transported material for which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs. Only one stone unit has installed PTZ camera and no action has been taken against the violators. Only 35 units have PM_{10} Analyser (Sr. No. XX). Pollution Control Devices have not been installed for which notices have been issued by the State PCB under the Water Act, 1974 and Air Act, 1981 (Sr. No. XXI). Environmental Compensation deposited is said to be less than Rs. 4 crores against levy of Rs. 7 crores compensation. No action has been taken against those who have failed to pay the compensation. The collected amount has not been utilized for restoration measures. Carrying capacity and damage assessment has not been done on the ground that the Expert Institutions are not available and work has now been awarded on 28.01.2023 to Birsa Institute of Technology (Sr. No. XXIII). Comprehensive Environment Management Plan has not been prepared (Sr. No. XXIV). Overloading of vehicles has been found for which fine has been imposed against 167 vehicles"

1. माननीय NGT के Observation के आधार पर Original Application No. 23/2017 (EZ) में दिनांक 15.03.2023 को पारित आदेश के कण्डिका–19 के अनुसार Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not which no action was taken against the units but

the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs.

2. जिला में चल रहे अवैध माईनिंग एवं परिवहन के रोक–थाम हेतु कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

अतः राधानगर थाना कांड संख्या 69/2022, दिनांक 04.08.2022, धारा–379/414 भा0द0वि0 एवं 04/54 JMMC Rule 2004, 7/9 Jharkhand Mineral Prevention of Illegal Mining Transportation Storage Rule 2017 के अन्तर्गत जप्त (1) ट्रेक्टर सं0– JH04Q-9229, (2) ट्रेक्टर सं0– WB93-2474, 3) ट्रेक्टर सं0– JH18A-8121, एवं (4) ट्रेक्टर सं0– JH18F-4553 एवं उस पर लदे बालू सहित को **The Jharkhand Minerals (Prevention ofillegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017** का 11(V) के अन्तर्गत राजसात किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, राधानगर के उपस्थिति में उक्त वाहन एवं उस पर बालू सहित नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा करें।

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज, पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, राधानगर को भेजें। पारित आदेश से विपक्षी को भी अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 16:46:34 +05:30
Location: 192.168.0.141